पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय श्रीमन राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग - 3542 - PBR/16

रूपचंद पिता जगन्नाथ जाति माली उम्र 40 वर्ष
धंधा खेती व व्यापार निवासी 36 नरसिंह मार्ग
भोज कन्या स्कूल के पास धार जिला धार

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, Adv. द्वारा दिनांक 07.10.16 को प्रस्तुत
7-10-16
50

216
7-10-16

......................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

..................................विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

8
Dated 07/10/16

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम मालीवाडा तहसील व जिला धार की भूमि का मूल नंबर 597 होकर जिसका रकबा 0.939 हैक्टर होकर उक्त भूमि पैकि 0.069 हैक्टर होकर उक्त भूमि में एक अंश जो मुझे खातेदार ने रजिस्टर्ड बिक्री पत्र से याने बोंदरलाल पिता घासीराम माली ने बिक्री किया होकर बिक्री का बटांक 597/2 होकर रकबा 0.069 हैक्टर लगान 18.00 रू होकर व एक अंश मूल विक्रेता बोंदर के नाम होकर जिसका भूमि सर्वे नंबर 597/1 बाद में डला होकर जिसका रकबा 0.070 हैक्टर लगान 19.00 रू होकर एकजाई लगान 37.00 रू होने से मुझ क्रेता का नाम होकर कब्जा मेरा व मेरे पूर्व अधिकारी बोंदर का पुश्त दर पुश्त से रहा होकर उक्त भूमि का कोई अंश शासकीय न होकर न म0प्र0 के नाम से दर्ज है न सर्वे नंबर 598 जो मालीवाडा में स्थित है म0प्र0 शासन की भूमि जो दर्ज है उसमें यह सर्वे नंबर दर्ज नही है ऐसी दशा में अगर 598 के संबंध में 0.051 हैक्टर के संबंध में 40 बाय 30 वर्गफिट के संबंध में वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो वह हटकर है मेरी भूमि में सम्मिलित नही हैं यों भी म0प्र0 शासन की भूमि नही होने से तहसील व पटवारी को रिपोर्ट बनाने का कोई ज्युरिसडिक्शन नही है। वक्फ बोर्ड का विवाद है तो उसके लिए भोपाल में बोर्ड है नोटिस देने के लिए हटाने के लिए व जांच करने के लिए पूर्ण ज्युरिसडिक्शन के संबंध में वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी के संबंध में जिसके खातेदार म0प्र0 शासन नही है न राजस्व रिकार्ड में दर्ज है म0प्र0 शासन का मालीवाडा में है उनका अलग से खाता है उसमें सर्वे नंबर 598 सम्मिलित नही है ऐसी दशा में पंचनामा रिपोर्ट व व्यर्थ है असत्य है पीठ पीछे है विचाराधिकार रहित है अतः ग्राह्य व प्रोसिड विचाराधिकार रहित है जो उल्लेख है वह भी राजस्व रिकार्ड से हटकर असत्य है उसमें उल्लेख असत्य है प्रकरण क्रमांक

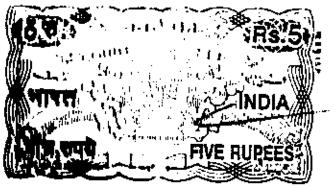

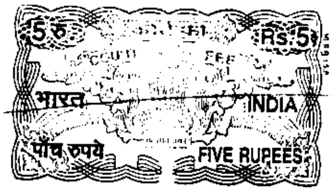

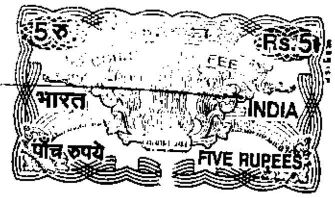

0/2015-16/अ-68 में दिया गया नोटिस व दर्ज व उस पर से नोटिस पंचनामा आदि पटवारी हाजा का अगर कोई है तो वह विचाराधिकार रहित है एबिनोसोवाईड है शून्य है। उसे निगरानी में लेकर अपास्त बाबद यह अभ्यावेदन या याचना यह निगरानी पेश है नकल बाबद अलग से अर्ज दी है मुक्ति बाबद अर्जी पेश है यों भी उक्त भूमि जिसके संबंध में कार्यवाही है वह चंपाबाई माली के नाम से है ऐसी दशा में मुझे व चंपाबाई को नोटिस में उल्लेखित तथ्य उपरोक्त कारणो से व्यर्थ है तहसीलदार महोदय धार जिला धार के क्रमांक 1168/री-1/216 में जारी दिनांक 12.09.2016 का सूचना पत्र व 15.09.2016 की उपस्थिति व आगे की कार्यवाही निगरानी में लेकर विचाराधिकार रहित होकर अपास्ती बाबद व पंचनामा रिपोर्ट आदि जो कहे गये है उन्हे अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज है उक्त दिनांक 12.09.2016 के नोटिस व सूचना पत्र व दर्ज प्रोसिड विचाराधिकार रहित होने से उक्त समस्त दर्ज नोटिस आदि को अपास्ति बाबद यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3542–पीबीआर/16 ऋपचेद/2mm **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–11–2016	आवेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	